राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 74/2025 निगरानी

1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. शंकरलाल पिता मगनालाल गुर्जर नि. सेवनी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1996 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत दौलतपुरा आदेश दिनांक 06.03.2024।

उपस्थित –

1. श्री राजेश वर्मा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.05.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 06.03.2024 को तत्कालीन सचिव द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी विधिक अधिकार के गैर निगराकार से पट्टा जारी किया। पट्टा सं. 50 बुक सं. 103 दिनांक 06.03.2024 से गैर निगराकार को पट्टा जारी करने के साथ ही राजस्थान पंचायत राज नियम 1956 के नियम 157 (1) (ख) की पालना नहीं की गई तथा गैर निगराकार द्वारा तथ्यों को छिपाकर श्यामलाल पुत्र हरनाथ गुर्जर के हिस्से की रास्ते की 4.3 गुणा 55 फिट भूमि का पट्टा विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम मिला भगती कर गलत आशय से बनवा लिया।

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 06.03.2024 को गैर निगराकार के पक्ष में बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये पट्टा सं. 50 मिला भगती कर नियम विरूद्ध तरीके से जारी कर दिया। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की बिना जांच किये अपूर्ण होने पर भी पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टे के संदर्भ में ग्राम पंचायत दौलतपुरा के लेखा पत्रावलियों/रोकड़ पंजिका में भी पट्टे या पट्ट बुक से संबंधित किसी भी प्रकार का अंकन नहीं है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा द्वारा आदेश दिनांक 24.04.2025 द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जांच में पट्टा बुक संख्या 103 में से जारी किये गये पट्टा सं. 50 को अपूर्ण व राजस्थान पंचायत राज नियम 1956 के नियम 157 (1) (ख) की पालना नहीं किये जाने व गैर निगराकार द्वारा श्यामलाल गुर्जर के हिस्से की रास्ते की भूमि होने पर भी पट्टा जारी किये जाने से निरस्त योग्य माना है। अतः निगरानी निगराकारान् स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा बुक सं. 103 में से गैर निगराकार के पक्ष में दिनांक 06.03.2024 जारी किया गया पट्टा सं. 50 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में गैर निगराकारान संख्या 01 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से गैर निगराकारान संख्या 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अधिवक्ता निगराकार द्वारा सीधी बहस हेतु निवेदन किया जाकर लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हस्तगत पट्टा सं. 50 बुक सं. 103 दिनांक 06.03.2024 को गैर निगराकार शंकर लाल गुर्जर के पक्ष में जारी किया गया उक्त पट्टा जारी किये गये पट्टे में पट्टाग्रस्त भूमि 4.3 गुणा 55 फिट भूमि रास्ते की भूमि होकर एक अन्य व्यक्ति श्याम लाल पुत्र हरनाथ गुर्जर की हिस्से एवं मालिकाना हक की होने के बावजूद भी उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुए तत्कालीन सचिव के द्वारा हस्तगत पट्टा जारी किया गया है। प्रथमदृष्टया तो पट्टाग्रस्त भूमि जो वर्णित की गई है तन्हा गैर निगराकार की नहीं है एवं दूसरा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह भूमि रास्ते की भूमि है। प्रस्तुत आवेदन पत्र में

अति. जिला कलेक्टर
शाहपुरा

जिस भूमि का पट्टा चाहा गया है उसके पाड़ौसान का विवरण नहीं दिया गया तथा अधिकांश प्रपत्र रिक्त होने के बावजूद भी मन–मकसूद तरीके से पट्टा जारी किया गया है जो अवैधानिक है। किस ग्राम के किस वार्ड के कितने पुराने और किन पाड़ौसान के मध्य भूखण्ड/मकान का पट्टा चाहा गया है ? इसका भी अंकन प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं है। उक्त सभी प्रविष्ठियां पूर्ण रूप से रिक्त होने के बावजूद भी मन–मकसूद तरीके से गैर निगराकार को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से दिनांक 10.03.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र हेतु रसीद सं. 62 काटी जाकर 120 रूपये जमा किये गये। ग्राम सेवनी के निवासी श्याम लाल गुर्जर पुत्र हरनाथ गुर्जर के द्वारा गैर निगराकार को अवैधानिक रूप से पट्टा जारी करने एवं श्याम लाल गुर्जर की भूमि का पट्टा गैर निगराकार को जारी कर दिये जाने बाबत शिकायत की जिस पर पंचायत समिति के द्वारा शिकायत की जांच हेतु जांच कमेठी दिनांक 24.04.2025 को गठित की गई उक्त जांच कमेठी के द्वारा उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच अनुसार हस्तगत पट्टे की भूमि रास्ते की भूमि होकर श्याम लाल गुर्जर की होना माना है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2021 का होना तथा बिना किसी आधार के दिनांक 10.03.2022 को रसीद होना एवं वार्ड पंचों के गठन एवं रिपोर्ट में खामियां तथा आपत्ति पत्र में भी खामियों बाबत विस्तृत रिपोर्ट जांच कमेठी द्वारा प्रस्तुत की गई। जांच कमेठी के द्वारा यह भी पूर्ण रूप से प्रमाणिक माना गया कि पट्टा शुल्क 200–रू० बाबत कोई भी रसीद जारी नहीं हुई है। उक्त रूपये ग्राम पंचायत में कभी जमा नहीं हुए तथा किसी भी रसीद, बुक, केसबुक आदि में उक्त राशि का इन्द्राज नहीं है। पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) (ख) की पालना हस्तगत मिसल में नहीं किया जाना भी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है एवं जांच कमेठी के द्वारा उक्त गलत रूप से पट्टा जारी करने हेतु तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अक्षय कुमार एवं सरपंच ओमप्रकाश को पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हस्तगत पट्टा सं. 50 की मिसल एवं जांच रिपोर्ट यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है कि पंचायतराज अधिनियम में निहित प्रावधानों के परे जाकर अवैधानिक रूप से यह पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के द्वारा किसी अन्य की भूमि रास्ते की भूमि का पट्टा राजकोष को हानि पहुंचाते हुए गैर निगराकार के पक्ष में जारी कर दिया गया है जो पूर्ण रूप से अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने का

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि गैर निगराकार के द्वारा प्रश्नगत पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पृष्ठ सं. 1 में किस ग्राम के किस वार्ड के कितने पुराने और किन पाडौसान के मध्य भूखण्ड/मकान का पट्टा चाहा गया है उसके मकान एवं पाड़ौस का विवरण अंकित नहीं है। गैर निगराकार के द्वारा किस दिनांक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ? इसका भी अंकन प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं है। पट्टा पत्रावली मे पृष्ठ सं. 2 पर प्रश्नगत मकान का फोटोग्राफ चस्पा है। परन्तु उक्त प्रपत्र में पडौस व भूखण्ड का आकार (ल. X चौ.) का अंकन नहीं है। पट्टा पत्रावली मे पृष्ठ सं. 3 पर आबादी भूमि का प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से रिक्त होकर उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकन नहीं खाली होकर न ही पटवारी के हस्ताक्षर है। पट्टा पत्रावली मे पृष्ठ सं. 4 पर संलग्न सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से रिक्त तथा उक्त प्रमाण पत्र में भी मकान/भूखण्ड की अवस्थिति, पडौस, प्रार्थी की वल्दियत, प्रार्थी के भाई–बहिनों की स्थिति, भाई–बहिनों की सहमति, गवाहन आदि किसी भी चीज का अंकन नहीं है। सभी कॉलम रिक्त होकर केवल श्यामलाल के हस्ताक्षर होकर निचे सरपंच के हस्ताक्षर अंकित है। पृष्ठ सं. 5 पर शंकर लाल के 50– रू. के स्टाम्प शपथ पत्र पर न तो पडौस का अंकन है एवं न ही समय अवधि का अंकन है। पृष्ठ सं. 6 एवं 7 पर अन्य गवाह कैलाश गुर्जर, नानालाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत 50– रू. के स्टाम्प शपथ पत्रो पर न तो पडौस का अंकन है एवं न ही समय अवधि का अंकन है। पट्टा पत्रावली की आदेशिका पृष्ठ सं. 12 पर दिनांक 20.01.2023 मे सरपंच के हस्ताक्षर/मोहर का अंकन नही है। पट्टा पत्रावली की आदेशिका पृष्ठ सं. 13 पर दिनांक 20.02.2023 की आदेशिका में अंकन है कि भाईयों, पड़ौसियों को कोई आपत्ति नहीं है एवं पूर्ण सहमति है। जबकि इस बाबत कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पृष्ठ सं. 15 पर आदेशिका दिनांक 21.03.2023 मे रसीद बुक संख्या, रसीद संख्या, दिनांक का अंकन नही है। पेज सं. 17 के अन्तिम पैरा में दिनांक इत्यादि का अंकन नही है। पेज सं. 21 के सभी कॉलम रिक्त होकर कोई अंकन नही

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

है। विकास अधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी के द्वारा भी प्रमाणिक माना गया कि पट्टा शुल्क 200–रू० बाबत कोई भी रसीद जारी नहीं हुई है। उक्त रूपये ग्राम पंचायत में कभी जमा नहीं हुए तथा किसी भी रसीद, बुक, केसबुक आदि में उक्त राशि का इन्द्राज नहीं है। पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) (ख) की पालना हस्तगत मिसल में नहीं किया जाना भी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है एवं जांच कमेठी के द्वारा उक्त गलत रूप से पट्टा जारी करने हेतु तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अक्षय कुमार एवं सरपंच ओमप्रकाश को पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना है।

पत्रावली का संधारण साइक्लो स्टाइल में किया गया है। पट्टा जारी करने में पंचायती राज नियम 1996 के सुसंगत नियमों की पालना नहीं की गयी है।

निष्कर्षतः प्रश्नगत विधि के सुसंगत प्रावधानों की अवहेलना/अनदेखी कर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

प्रश्नगत पटटा पंचायतीराज नियमों एवं प्रकिया का पालन नही किये जाने से काबिले खारिज हैं।

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा के पटटा संख्या 50 दिनांक 06.03.2024 जरिये पत्रावली संख्या 23/2024 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहपुरा